FORM No III
(नियम 26)

## अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, मुकाम बीकानेर

## जसपाल सिह बनाम– शैलेन्द्र कौर उर्फ छिन्द्र कौर वगैरह

**किस्म मुकदमा अपील एल.आर.एक्ट नं. 62/2024**

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियन्स जज | नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ |
|---|---|---|
| 01.07.2024 | पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी घड़साना के नामान्तरण आदेश दिनांक 23.07.14 के विरूद्व पेश की गई है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को है, मण्डी भूखण्ड का आदेश भी लेण्ड रेवेन्यू एक्ट से संबधित है। अतः अपील क्षेत्राधिकार में मानते हुए रेस्पोडेन्ट के निमित नोटिस जारी किये जावे एवं अधीनस्थ का रिकार्ड तलब कर प्रकरण का मेरिट पर निर्णय पारित किया जावे।<br><br>हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अपील मय दस्तावेजात का क्षेत्राधिकार के संबध में परीक्षण किया गया। प्रस्तुत अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा जारी मण्डी के भूखण्ड का नामान्तरण आदेश दिनांक 23.07.14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन करने पर पाया कि संभागीय आयुक्त/अति.संभागीय आयुक्त न्यायालय को भू–अभिलेख निदेशक की शक्तिया प्रदत्त है, जिसमे धारा 75–एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का निम्नप्रकार से प्रावधान दिया हुआ है।<br><br>First Appeals Under Section 75 to the Director of Land Records From an original order Passed by a Land Records Officer in matters connected With land records, हस्तगत अपील उपनिवेशन क्षेत्र मे स्थित कृषि मंडी के भूखण्ड से संबधित है। उक्त प्रकार की कृषि मंडियो के भूखंडो के हस्तान्तरण संबंधी अपीलो का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर इस न्यायालय में एल आर एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी यह अपील संधारण योग्य नही होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।<br><br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>बीकानेर | |